



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18032023-244477
CG-DL-E-18032023-244477

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1205]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 17, 2023/फाल्गुन 26, 1944

No. 1205]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 17, 2023/PHALGUNA 26, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2023

का.आ. 1254(अ).—केन्द्रीय सरकार, ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के मन्दसौर जिले में NH148N के कि.मी. 84.84 से कि.मी.113.6 (अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सीतामऊ) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का. आ. 5597 (अ) दिनांक 01.12.2022 का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "08.12.2022" को "फ्री प्रेस" और "नई दुनिया" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्टें प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के मन्दसौर जिले में NH148N के कि.मी. 84.84 से कि.मी.113.6 (अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सीतामऊ) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश		जिले का नाम: मन्दसौर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: सीतामऊ				
	गांव का नाम: दलावदा				
1	1212	निजी	सिंचित	0.03	सुरेश पिता भंवरलाल (1212/3/1/2)
2	1212	निजी	सिंचित	0.01	कारूलाल पिता रामचंद्र (1212/4)
3	1214	निजी	सिंचित	0.11	पुरालाल, दौलतराम पिता कारू, सुहागबाई बेवा कारू (1214/3)
4	1217	निजी	सिंचित	0.04	जुझारलाल पिता कनीराम (1217/1)
5	1218	निजी	सिंचित	0.1	जुझारलाल पिता कनीराम (1218/1)
	गांव का नाम: गुडभेली				
6	18	सरकारी	असिंचित	0.07	मध्य प्रदेश शासन (18)
7	19	निजी	सिंचित	0.07	मांगुसिंह पिता भीमा (19/1)
8	20	सरकारी	असिंचित	0.01	मध्यप्रदेश शासन (20)
9	4	निजी	सिंचित	0.58	वरदीबाई बेवा देवी सिंह, बापूसिंह,

					लालसिंह, कारुसिंह, माधुसिंह, रामकुंवरबाई, यशोदाबाई पिता देवीसिंह (4/1/1)
10	8	निजी	सिंचित	0.48	नाथू सिंह पिता भेरू सिंह (8/2)
	गांव का नाम: सगोर				
11	54	निजी	सिंचित	0.12	बापूलाल पिता मांगीलाल (54/2)
	गांव का नाम: सांसर पिपलिया				
12	58	निजी	सिंचित	0.1	रघुवीर सिंह पिता शम्भू सिंह (58/3/1)
			कुल	1.7200	

[फा. सं. NHAI/PIU-RTM/BM/DVE-MP/2018/LA/3A/3D]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th March, 2023

S.O. 1254(E).—In—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH148N on the stretch of land from Km 84.84 to Km 113.6 (Sub Divisional Officer (Revenue) Sitamau) in the district of Mandsaur in the state of MADHYA PRADESH

And whereas the substance of the said notification S.O.5597 (E) dated 01.12.2022 has been published in “Free Press” and “Nai-Duniya” both dated 08.12.2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH148N in the stretch of land from NH148N (Sub Divisional Officer (Revenue) Sitamau) in the district of Mandsaur in the state of MADHYA PRADESH

State: MADHYA PRADESH			District: Mandsaur		
Sr. NO.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No:
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Sitamau				
	Viilage: Dalawada				
1	1212	Private	Irrigated	0.03	Suresh S/O Bhanwarlal 1212/3/1/2
2	1212	Private	Irrigated	0.01	Karulal S/O Ramchandr 1212/4
3	1214	Private	Irrigated	0.11	Puralal , Daulat ram S/O Karu , Suhagbai Beva Karu 1214/3
4	1217	Private	Irrigated	0.04	Jujhar lal S/O Kaniram 1217/1
5	1218	Private	Irrigated	0.1	Jujhar lal S/O Kaniram 1218/1
	Viilage: Gudbheli				
6	18	Government	Non-Irrigated	0.07	M.P. Government 18
7	19	Private	Irrigated	0.07	Mangusingh S/O Bhima 19/1
8	20	Government	Non-Irrigated	0.01	M.P. Government 20
9	4	Private	Irrigated	0.58	Vardibai Beva Devi singh, Bapusingh, Lalsingh, Karusingh, Ramkunwarbai, Yashodabai S/O Devi singh 4/1/1
10	8	Private	Irrigated	0.48	Nathu singh S/O Bheru Singh 8/2
	Viilage: Sagor				
11	54	Private	Irrigated	0.12	Bapulal S/O Mangilal 54/2
	Viilage: Sasar Pipliya				
12	58	Private	Irrigated	0.1	Raghuveer singh S/O Shambhu singh 58/3/1
			TOTAL	1.7200	

[F. No. NHAI/PIU-RTM/BM/DVE-MP/2018/LA/3A/3D]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.